अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान दिवानी वाद संख्या–01/1979-80

पुरनेन्दु देवगम उर्फ पातर देवगम ..... वादी

–बनाम–

साहु देवगम एवं अन्य ..... प्रतिवादी

आदेश

दिनांक– 17.08.2022 को प्रतिवादी गण एवं इंटरवेनर के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद में विवादित जमीन Schedule "B" में वर्णित खाता संख्या– 8, 127, 128, मौजा– कमारहातु तथा खाता संख्या– 40, मौजा– नीमडीह एवं Schedule "C" में वर्णित खाता संख्या– 9, 61 तथा 62, मौजा– कमारहातु की है। इस वाद में वादी के अलावा प्रतिवादीगण तथा इंटरवेनर भी वाद जमीन का दावा करते हैं। अभिलेख से पता चलता है कि इस वाद में जॉन देवगम एवं अन्य ने एक आवेदन देकर वाद में पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना की है। इंटरवेनर कोल्हान टाईटल अपील संख्या– 231/1996 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2006 जो कि आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा के द्वारा पारित है, उक्त आदेश के आधार पर जमीन का दावा करते हैं। प्रतिवादी एवं इंटरवेनर्स के अधिवक्ताओं के द्वारा यह कहा गया है कि वाद जमीन मूल रूप से जाम्बी कुई, पति सुलुब हो की थी तथा सुलुब हो नियंशी मृत्यु हो गया। प्रतिवादीगण तथा इंटरवेनर्स सुलुब हो के नजदीकी वंशज होने का दावा करते हैं। माननीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट होता है कि इंटरवेनर जाम्बी कुई के पति के नजदीकी वंशदार का हक बनता है।

अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा वादीगण को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करने के बाद भी वादीगण कई तिथि गुजर जाने के बाद भी इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं दिखा रहे है और न ही उनके विद्धवान अधिवक्ता के द्वारा कोई पैरवी नहीं की गई है।

उपरोक्त परिपेक्ष में वादीगण की अनुपस्थिति में किसी प्रकार का निर्णय करने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः वाद की कार्रवाई वादीगणों की लगातार अनुपस्थिति रहने के कारण बंद की जाती है तथा वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

22.10.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

22.10.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.11.12 11:13:12 +05:30
Location: 10.93.66.35

Scanned with CamScanner